



राजस्थान राज—पत्र  
विद्यालय

राजस्थान प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Official Gazette

Published by Authority

वैदेश 26, बुधवार, राते 1934—मई 16, 2012  
Vaidika 26, Wednesday, Sakar 1934-May 16, 2012

भाग 4 (अ)

राजस्थान विद्यालय मंडल के अधिनियम।

विधि (विद्याली प्राक्षयन) विभाग

(पृष्ठ-2)

अधिसूचना

जबलपुर, मई 16, 2012

राम्या द. 2 (26) विधि/2/2012.—राजस्थान राज्य विद्यालय मण्डल का नियमांकिता अधिनियम, जिसी राज्यवास महोदय की अनुमति दिनांक 15 मई, 2012 को प्राप्त हुई, एवं द्वारा संक्षिप्त रूप से विद्यालय प्रबोधित किया जाता है :—

पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जबलपुर अधिनियम, 2012

(2012 का अधिनियम संख्याक 16)

[राजस्थान महोदय की अनुमति दिनांक 15 मई, 2012 को प्राप्त हुई]

राजस्थान राज्य में पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जबलपुर की स्थापना और नियमन के लिए और उससे संबंधित और अनुबंधित विषयों के लिए उपचार्य करने के लिए अधिनियम।

यह, विश्व और देश में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ-साथ कदम नियाने वाले हहि में रखते हुए दुयोगी को उनके निकटतम स्थान पर अनुग्रहित शीक्षणिक सुविधा (वा) वा उपचार्य करने के लिए राज्य में विश्व स्वरीय आधुनिक अनुसंधान और अध्ययन सुविधाओं का सञ्जल करना आवश्यक है, जिससे उन्हें विश्व की ऊटर आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में ज्ञानव संसाधनों से संगत बनाया जा सके;

और यह, ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति और ज्ञानव संसाधनों की परिवर्तनशील अपेक्षाओं से वह अवश्यक हो गया है कि शीक्षणिक अनुसंधान और विकास की ऐसी संसाधनपूर्ण और त्वरित और उत्तमतम् प्रणाली सुविधा की जाये जो एक आवश्यक वित्तियालय व्यवस्था के अधीन उद्यमितापूर्ण उत्सङ्घ से कार्य कर सके और ऐसी उपलब्धि, उत्कृष्ट शिक्षा में